न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–40/2022
जी.सी.एम.एस नं.–2022/90

1. अनिता उम्र 15 वर्ष पुत्री मदनलाल जाति कुम्हार
2. सोनु उम्र 10 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति कुम्हार निवासीगण चक 7 एस जे एम हाल 1 बीएन हरिसिंहपुरा तहसील सुरतगढ़ जरिये कुदरतीवली माता राधादेवी पत्नी मदनलाल जाति कुम्हार निवासीगण चक 7 एस जे एम हाल 1 बीएन हरिसिंहपुरा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––प्रार्थीगण

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 7 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. ज्ञानदीप पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 7 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 7 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. शारदा देवी पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 7 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. कलावती पत्नी रामचन्द जाति कुम्हार निवासी चक 7 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. सुलतान पुत्र चाननराम जाति कुम्हार निवासी चक 7 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. साहबराम पुत्र चाननराम जाति कुम्हार निवासी चक 7 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित–

1. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री बलदेवसिंह भगूं एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 ता 7 की ओर से

–:: निर्णय ::– **दिनांकः**–25/02/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके [illegible] अनूपगढ़ के चक नं.–8 एस जे एम (ए) का पं.नं.–263/384 मु.नं.–5 का कि[illegible]नं.–1 [illegible] 25 की कुल 25 बीघा यानि 6.122 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पं.नं.–264/385 [illegible] का किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला [illegible] रकबो में 12.4[illegible] है. भूमि प्रार्थीगण के परदादा चाननराम [illegible] का देहान्त करीब 12– वर्ष पूर्व हो चुका है चाननराम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि विरास्तन आधार पर प्रार्थीगण के दादा रामकुमार व अन्य वारिसो के नाम से विरास्तन दर्ज हुई। प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

दादा रामकुमार का भी देहान्त वर्ष 2016 में हो चूका है रामकुमार के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि मे से रामकुमार के नाम की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम विरास्तन दर्ज हुई। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सख्या 1 को उक्त भूमि 12.447 है. मे से 1/16 हिस्सा भूमि विरास्तन दर्ज हुई। चूंकि प्रार्थीगण के दादा परदादा की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई है जो पैतृक व सहदायिकी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण जन्म से हित व अधिकार है। उक्त वर्णित 12.447 हैक्टर कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या नया 5 सलग्नं है। जिसे वादाधीन भूमि कहा जायेगा। वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि चक नं.–8 एस जे एम (ए) का पं.नं.–263/384 मु.नं.–5 का किला नं.–1 ता 25 की कुल 25 बीघा यानि 6.122 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पं.नं.–264/385 मु.नं.–9 का किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल देनो मुरब्बो में 12.447 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज दादा परदादा की थी। प्रार्थीगण के पूर्वजः परदादा, दादा, प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 धर्मतः हिन्दू है जो हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते हैं। वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 4 के सयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक व सहदायिक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का अपने पिता के साथ जन्म से हित व अधिकार निहित है। वादाधीनं कृषि भूमि पैतृक एवं सहदायिक होने के कारण प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के सहदायी हैं। प्रार्थीगण के पूर्वज / परदादा, दादा की अप्रार्थी सं.–1 के नाम से वादाधीन कृषि भूमि में से 1/16 हिस्सा दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक व सहदायिक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हित व अधिकार निहित है। वादाधीन कृषि भूमि पैतृक एवं सहदायिक होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के सहदायी हैं। उक्त पैतृक व सहदायिकी सम्पत्ति वादाधीन कृषि भूमि में से 1/16 हिस्सा कृषि भूमि मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्सा बराबर अधिकारी है चूंकि प्रार्थीगण नाबालिग है तथा प्रार्थीगण की सरक्षक माता ग्रामीण परिवेश की सीधी साधी औरत है जबकि प्रार्थीगण का पिता नशेड़ी, शराबी व झगड़ालू है जो प्रार्थीगण व उनकी माता को तंग परेशान व मारपीट करता है तथा पालन पोषण व देखभाल नही करता है तथा अपनी नशे की लत को पुरा करने के लिये उक्त कृषि भूमि की सारी आमदनी बर्बाद कर देता है तथा प्रार्थीगण को कुछ भी नही देता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण का जीवन नरकमय बना दिया है जिस कारण प्रार्थीगण को अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 से कई बार आग्रह किया कि वादाधीन कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित सहदायिक व पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/16 हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 बहिस्सा बराबर सहदायिक एवं हकदार है, इसलिए प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के नाम से अप्रार्थी सं.–1 अंकन करवा देवे ताकि किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं हो तो अप्रार्थी सं.–1 हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन देकर निरन्तर टालमटोल करता रहा। अप्रार्थी सं.–1 अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के अनुचित प्रभाव व दबाव में [illegible] संख्या 1 ता 7 विवादित कृषि भूमि में से प्रार्थीगण को उसके हक व हिस्सा से वंचित [illegible] के दुर्भावनापूर्वक आशय से, निजी स्वार्थवश एवं प्रार्थीगण के [illegible] दुर्भावनापूर्वक आशय और अवैध तरीके से बिना अधिकारिता व सक्षमता एवम् न्यायालय की अनुमति के विवादित कृषि भूमि खुर्द बुर्द, अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, बेचान करने पर उतारू है जिसके लिए उसने कुछ दलाल व भू–माफिया किस्म के व्यक्तियों को बातचीत कर ली है। अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

संख्या 1 ता 7 ने दलाल व भू–माफिया किस्म के व्यक्तियों को जमीन दिखाता फिर रहे है जिसका पता चलने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 23.3.2022 को अप्रार्थी सं.–1 ता 7 से मिलकर कहा कि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित सहदायिक व पैतृक सम्पत्ति में प्रार्थीगण का जन्म से हिस्सा व हक है इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के नाम से अंकन करवावे और भूमि का मुताबिक अच्छी बुरी किस्म के हिस्सानूसार बंटवारा करवाएं तथा अप्रार्थीगण से वादाधीन भूमि किसी भी तरीके से अन्यत्र रहन, अन्तरण नहीं करने का आग्रह किया तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गये तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि हमने तुम्हें भूमि से वचित करने के लिये भूमि बैंक मे रहन रख रखी है तथा तुम्हें विवादित जमीन में कुछ नहीं देगें तथा समस्त जमीन को अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, बेचान कर देगें और भूमि अन्तरण का दस्तावेज अप्रार्थी उप पंजीयक से पंजीकृत करवा देगें। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 अपने अवैध आशय में कामयाब हो गए तथा प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकार से मरहूम कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी और प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा। जिसका मुल्याकंन मुद्रा में नही आंका जा सकता। प्रार्थीगण का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पति सम्बन्धी अधिकारो व हितों की रक्षा करे तथा अपनी सम्पति का उपयोग व उपभोग करे। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण वादाधीन कृषि भूमि में से स्वयं को अपने हक य हिस्सा भूमि का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवा लेवे, तथा मुताबिक भूमि की किस्म व हिस्सा बंटवारा करवा लेवे तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा लेवे। इसके उपरांत दिनाक 24.03.2022 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी उप पंजीयक महोदय से सम्पर्क कर उसे उक्त समस्त तथ्यों से अवगत करवा कर वादाधीन कृषि भूमि अन्यत्र अन्तरण, रहन, बैय आदि का कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं करने का आग्रह किया तो उन्होंने ने कहा कि अदालत के आदेश/स्थगन के बिना यह दस्तावेज पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र है तथा अप्रार्थी उप पंजीयक महोदय ने किसी प्रकार का सहयोग करने से प्रार्थीगण को इंकार कर दिया। प्रार्थीगण को पूरा–पूरा अंदेशा है कि अप्रार्थीगण कभी भी अपने उक्त नापाक इरादे को अंजाम दे सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक नं.–8 एस जे एम (ए) का पं.नं.–263/384 मुं.नं.–5 का किला नं.–1 ता 25 की कुल 25 बीघा यानि 6.122 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पं.नं.–264/385 मुं.नं.–9 का किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल दोनो मुरब्बो में 12.447 है. भूमि को बिना बंटवारा करवाये किसी भी प्रकार से अन्यत्र रहन, बैय, हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने या करवाने, तृतीय पक्ष का हित सृजित करने से निषेध रहे और अप्रार्थी उप पंजीयक वादाधीन कृषि भूमि बिना बंटवारा हुए किसी भी तरीके अन्यत्र हस्तान्तण, रहन, वैय आदि का दस्तावेज पंजीकृत करने से निषिद्ध रहे और वादाधीन भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा, हक व अधिकार की कृषि भूमि में किसी भी तरीके से दखलन्दाजी करने या करवाने वर्जित रहे एंव अप्प्रार्थीगण वादाधीन कृषि भूमि की रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ब[illegible]सिंह भगूं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है तथा प्रार्थना पत्र में

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

वर्णित दोनो मुरब्बो की कुल 12.447 हैक्टर भूमि हम अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–2 ता 7 के नाम सयुक्त खाता में सयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है जिसमें हम अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के विधिक अधिकारी है प्रार्थीगण का हम अप्रार्थी सं.–2 ता 7 के हिस्सा की भूमि में कोई सरोकार व वास्ता नहीं है और ना ही प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता है तथा प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थी सं. –2 ता 7 के सयुक्त परिवार के सदस्य नही है प्रश्नगत भूमि हम अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी कृषि भूमि सयुक्तं रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति नहीं है और ना ही प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के हिस्सा की कृषि भूमि में कोई हित निहित है लेकिन प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण को जानबुझकर हैरान परेशान करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूकिं प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से पैतृक सम्पति नहीं है और ना ही हम अप्रार्थीगण के हिस्सा की कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई हित व हिस्सा बनता है और ना ही प्रार्थीगण का हम अप्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि में कोई हित निहित है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई लोकसस्टेण्डी नहीं है। अप्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति नही है और ना ही हम अप्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर किसी प्रकार का प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार बनता है। प्रार्थीगण की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति नहीं है और ना ही हम अप्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर किसी प्रकार का प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार बनता है और ना ही प्रार्थीगण का हमारे हिस्सा की भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा है तो प्रार्थीगण किसी प्रकार से बंटवारा करवाने के कतई विधिक अधिकारी नहीं है और ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपुर्णिय क्षति ही है। चूंकि हम अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सह खातेदार कृश्क है और हम अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने के हर प्रकार से विधिक अधिकारी है प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपुर्णिय क्षति नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण हम सह खातेदार कृषक के विरूद्ध उनके हिस्सा की किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है तथा हम अप्रार्थीगण के हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार व हिस्सा नही बनता। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं.–2 ता 7 के हिस्सा की कृषि भूमि में कोई सरोकार व वास्ता नहीं है बल्कि प्रार्थीगण द्वारा हम अप्रार्थी सं.–2 ता 7 को जानबुझकर पक्षकार मुकदमा बनाया गया है प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर अप्रार्थी सं.–2 ता 7 को पक्षकार मुकदमा बनाकर हम अप्रार्थीगण के हिस्सा की कृषि भूमि पर निषेधाज्ञा प्राप्त करके उन्हे उनके हिस्सा की उपयोग व उपभोग से वंचित किया जा रहा है ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण [illegible] पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। [illegible] अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि [illegible]नं.–8 एस जे एम (ए) का पं.नं.–263/384 मुं.नं.–5 का किला नं.–1 ता 25 की कुल 25 बीघा यानि 6.122 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पं.नं.–264/385 मुं.नं.–9 का किला नम्बर 1 ता 25 में कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

6.325 है. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल दोनो मुरब्बो में 12.447 हैक्टर भूमि पर अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाए उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के परिपत्र दिनांक 08.01.2020 व माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2018(2) सीजे (सिविल) 559 पेश किया है जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसमें यह अवधारित किया गया है कि'– हिन्दू पुरूष को कोई भी सम्पत्ति जो पिता से न्यागत होती है वह पैतृक सम्पत्ति है तथा परिपत्र दिनांक 8.01.2020 में निर्देश दिया गया है। कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री का जन्म से ही अधिकार होता है इसलिए पुत्र पुत्री दोनों ही पिता के जीवनकाल में विभाजन करवा सकते हें तथा घोषणात्मक वाद पेश कर सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.–1 हिन्दु पुरूष है जिसे पिता की विवादित सम्पत्ति न्यागत हुई है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पैतृक समपत्ति जाहिर है तथा प्रतिवादी सं.–1 के वादीगण पुत्र/पुत्री हैं वादीगण द्वारा घोषणा व विभाजन के वाद के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सयुक्त खाता की हैं यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं, पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य आने के उपरांत निर्णीत होगें इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का संरक्षित किया जाना उचित है एवं न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक नं.–8 एस जे एम (ए) का पं.नं. –263/384 मुं.नं.–5 का किला नं.–1 ता 25 की कुल 25 बीघा यानि 6.122 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पं.नं.–264/385 मुं.नं.–9 का किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल दोनो मुरब्बो में 12.447 हैक्टर की राजस्व मौका व रिकार्ड यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक नं.–8 एस जे एम (ए) का पं.नं.–263/384 मुं.नं.–5 का किला नं.–1 ता 25 की कुल 25 बीघा यानि 6.122 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व पं.नं. –264/385 मुं.नं.–9 का किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल दोनो मुरब्बो में 12.447 हैक्टर पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनू रहे। रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 25/02/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़